


सहोदय,

1. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय क्षेत्राधिकार में नहीं है।
2. नियमानुसार न्यायालय मुक्त नस्था है।
3. तबताना संलग्न है।
4. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान श्रु- राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया है।  
रिपोर्ट सीमान की सेवा में पेश है।

Rahul  
26/9/25

~~ADM Sir!~~

उपर्युक्त आपील माननीय  
संवागीय जजद्वारा अध्यालय  
में प्रस्तुत की जाये।  
सम्बंधित को सूचित किया

  
26/9/25

Reader

ADM  
दिनेश दाबडि  
अति. जिला कलक्टर, जूंगरपुर